दाण्डिक विचारण में निर्णय का शीर्ष

जिला- पटना (बिहार)

न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी

उपस्थित- मो० गुलाम रसूल
न्या० दण्डा० प्र० श्रे०,
पटना ।
दिनाँक – 28.08.2025

बेउर थाना कांड सं० 153/2009
सामान्य पंजी सं० 4701/2009

अनिल कुमार,पे०-देव शरण सिंह

------- ---------सूचक।

बनाम

1. अनिल कुमार सिंह उर्फ़ आलोक कुमार ,पे०-नागेन्द्र सिंह,उम्र-50वर्ष, साकिन-काजीचक,थाना-मसौढ़ी ,जिला-पटना
2. नवीन कुमार,पे०-स्व० रामशरण सिंह,उम्र-49 वर्ष,
3. विजय सिंह,पे०- स्व० रामशरण सिंह,उम्र-56 वर्ष
4. उदय सिंह,पे०- स्व० रामशरण सिंह,उम्र-53 वर्ष,
5. संजय सिंह,पे०- स्व० रामशरण सिंह,उम्र-51 वर्ष, सभी साकिन-सिपारा,थाना-बेउर,जिला-पटना
6. राजकिशोर सिंह,पे०-स्व० रामनंदन सिंह,उम्र-69 वर्ष,साकिन-पैमार घाट,थाना-

पुनपुन,जिला-पटना

7. मनोज कुमार सिंह,पे०-राम उग्रह सिंह,उम्र-54 वर्ष,साकिन-पोठही, थाना-मसौढ़ी,जिला-पटना ....अभियुक्तगण

<u>आरोप अन्तर्गत धारा 323,341,448,506/34 - भा०द०वि० की</u>

सूचक की ओर से- वि० स०लो०अभि०, वि०अधि०।

प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से- ,श्री वि०अधि०

<u>निर्णय</u>

1.प्रस्तुत वाद में, उपरोक्त नामित अभियुक्तगण के विरुद्ध भा० द० वि० की धारा 323,341,448,506/34 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हेतु अभियोग का सारांश हिन्दी में पढ़ कर सुनाया एवं समझाया गया, जिससे अभियुक्तगण ने इंकार किया तथा वाद विचारण की मांग किये।

2.अभियोजन के लिखित आवेदन के आधार पर संक्षेप में अभियोजन कथन यह है कि सिपारा मौजा में स्थित जमीन पर बने दुकान विगत करीब 30 वर्षो से सूचक के दखल-कब्जा में हैं जिसके किराया का उपभोग सूचक के द्वारा किया जा रहा हैं। इधर कुछ महीनो से संजय सिंह,विजय सिंह,उदय सिंह,नवीन कुमार,राजकिशोर सिंह, मनोज कुमार सिंह,अनिल कुमार के साथ मिलकर सूचक एवं सूचक के परिवार को धमकी देने लगे एवं दुकानदारो को भी जबरजस्ती दुकान खाली करने की धमकी देने लगे और बोलने लगे कि मुझे किराया का रकम रंगदारी में देना होगा नही तो दुकान खाली कर भागना होगा। बार-बार असामाजिक तत्वों के बल पर दुकानदारों,रधुनाथ प्रसाद,अजय कुमार राकेश कुमार को धमकी दिए तो उन्होंने डर से दुकान खाली कर सूचक को दुकान का चाभी दे दिया। दुकान खाली होने के बाद उक्त दुकान में मोटर पम्प, चक्की का पार्ट-पुर्जा तथा कुछ फर्नीचर का सामान रखा हुआ था तथा ताला बंद था। दिनांक 06.09.2009 को करीब 9 बजे सभी लोग के साथ अन्य असामाजिक तत्व के लोग आये और दुकान का ताला तोड़ कर सब सामान निकाल लिए जब सूचक ने विरोध किया और धड़-पकड़ कर लप्पड़-थप्पड़ करने लगे और बोले कि साले जान प्यारा हैं तो चले जाओ नही तो जान से जाओगे, जब पुलिस को आई तो अभियुक्त लोग वहाँ से भाग गये, भागने के क्रम में अभियुक्त अनिल कुमार पकड़ा गया।

3. सूचक के आवेदन के आधार पर बेउर थाना कांड सं० 153/2009 दर्ज किया गया। अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् अन्वेषण अधिकारी के द्वारा आरोप पत्र सं० 01/2010 दिनांक 01.01.2010 को भा० द० वि० की धारा 323,341,448,506/34 के अंतर्गत समर्पित किया गया जिस पर श्रीमान् न्या० दण्डा०, पटना के द्वारा दिनांक 03.06.2010 को भा० द० वि० की धारा 323,341,448,506/34 के अंतर्गत संज्ञान लिया गया एवं वाद विचारण अभी इस न्यायालय के द्वारा किया जा रहा हैं। दिनांक 29.06.2017 को भा० द० वि० की धारा 323,341,448,506/34 के अंतर्गत अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग का सारांश हिंदी में पढ़ कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्तगण ने इंकार किया और विचारण का दावा किये।

4. दिनांक 20.08.2025 को द०प्र०सं० की धारा 313 के अंतर्गत अभियुक्तगण का बयान दर्ज किया जिसमे स्वयं को निर्दोष बताया हैं।

5.अब न्यायालय को देखना है कि क्या अभियोगी पक्ष इस वाद में अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपों को समस्त युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल रहा है?

विनिश्चयन्

6.विचारण के क्रम में, अभियोजन पक्ष की ओर से अपने समर्थन में किसी भी साक्षी का साक्ष्य न्यायालय के समक्ष नही कराया है, जबकि न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय के द्वारा कई अवसर भी दिए गये। अभियोजन साक्षी पर समन, जमानतीय अधिपत्र, अजमानतीय अधिपत्र निर्गत किया गया, यहाँ तक कि अभियोजन पक्ष को दस्ती समन भी प्राप्त करवाया गया तथा अभियोजन पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अंतिम अवसर भी दिया गया, फिर भी अभियोजन द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया तब न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य को बन्द कर दिया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध यह मामला बिना किसी साक्ष्य के है।

7.उपरोक्त विवेचन एवं अभिलेख के अवलोकन तथा वाद के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, मैं यह पाता हूँ एवं तदानुसार धारित करता हूँ कि अभियोजन पक्ष इस वाद में अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपों को समस्त युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में असफल रहा है। अतएवं यह --------

आदेश

दिया जाता है कि इस वाद में विचारण का सामना कर रहे अभियुक्तगण क्रमशः-अनिल कुमार सिंह उर्फ़ आलोक कुमार, नवीन कुमार, विजय सिंह, उदय सिंह, संजय सिंह, राजकिशोर सिंह एवं मनोज कुमार सिंह को भा० द० वि० की धारा 323,341,448,506/34 के अन्तर्गत लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है तथा उनके प्रतिभूओं को बंधपत्र के दायित्व से उन्मुक्त किया जाता है।

दिनाँक – 28.08.2025

Md Gulam Rasul
मो० गुलाम रसूल
न्या० दण्डा० प्र० श्रे०,
पटना।

निर्णय आज दिनाँक 28.08.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखित, शुद्धिकृत, हस्ताक्षरित, दिनाँकित, मुद्रांकित एवं उदघोषित किया गया।

दिनाँक –28.08.2025

Md Gulam Rasul
मो० गुलाम रसूल
न्या० दण्डा० प्र० श्रे०,
पटना